



न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 208 / 18-19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

सिंगराय मुण्डा वो बिरसा भेंगरा - विक्रेता
पुनम प्रतिमा हेमरोम - क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर										
30.10.18	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक 1. सिंगराय मुण्डा पिता स्व0 सनिका मुण्डा वो 2. बिरसा भेंगरा पिता स्व0 रेबे भेंगरा ग्राम-डोड़मा, थाना तोरपा, जिला खूँटी, जाति मुण्डा ने पुनम प्रतिमा हेमरोम पिता स्तानिस्लास हेमरोम ग्राम-बरकुली, थाना तोरपा, जिला खूँटी, जाति मुण्डा के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1"><thead><tr><th>ग्राम</th><th>थाना नं0</th><th>खाता नं0</th><th>खेसरा सं0</th><th>रकबा (एकड़ में)</th></tr></thead><tbody><tr><td>डोड़मा</td><td>10</td><td>23</td><td>926</td><td>0.36</td></tr></tbody></table> <p>आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र, खतियान एवं लगान की रसीद सं0 0276581729 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, तोरपा के पत्रांक 573 दिनांक 09.10.2018 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम करमु महतो वगैरह है। पंजी II के अनुसार कोपया महतो वगैरह के नाम भूमि का रकबा 56.45 एकड़ है। आवेदक के पास रकबा 7.04 एकड़ है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-2019 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 4810.00(चार हजार आठ सौ दस)रु0 प्रति डिसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष रकबा 6.68 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना तोरपा के निवासी हैं एवं एक ही समुदाय (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूर्इहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, तोरपा ने आवेदक क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, तोरपा से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण 1. सिंगराय मुण्डा पिता स्व0 सनिका मुण्डा वो 2. बिरसा भेंगरा पिता स्व0 रेबे भेंगरा को पुनम प्रतिमा हेमरोम पिता स्तानिस्लास हेमरोम के साथ ग्राम डोड़मा के खाता सं0 23 खेसरा संख्या 926 का कुल रकबा 0.36 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 4810.00(चार हजार आठ सौ दस)रुपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, तोरपा के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;"> भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p> <p style="text-align: center;"> भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p>	ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड़ में)	डोड़मा	10	23	926	0.36
ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड़ में)							
डोड़मा	10	23	926	0.36							